

प्रेषक

जिला शिक्षा अधिकारी

सोनीपत

क्रमांक G-1-2017/865

dated 17/3/2017

विषय- स्कूल छात्रावास की मान्यता प्रदान करने बारे-

उपरोक्त विषय पर शम्भू दयाल शिक्षा सदन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोंव खाण्डा जिला सोनीपत जो हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3017607 ps(3) दिनांक 8-12-2007 तथा पत्र क्रमांक C.B.S.E/ Aff/SS- 01044- 1213530803/2012/407490 दिनांक 5 अप्रैल 2012 CBSE, NEW DELHI से सीनियर सैकण्डरी तक स्थायी मान्यता प्राप्त है।

उपरोक्त विद्यालय को हरियाणा शिक्षा कोड के Art 237 के अनुसार केवल लड़कों का छात्रावास चलाने की स्थायी मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

विद्यालय बच्चों के लिए आवास, फर्नीचर, अधीक्षक, छात्रावास, वार्डन, चिकित्सा तथा छात्रावास की अन्य देखभाल की व्यवस्था करेगा। विद्यालय विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस तथा प्रतिभूति की अधिसूचना जारी करेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी

Distt. Education Officer
Sonepat

17/3/17